प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' तेईस '

प्रश्न सं. [क्र. 3915]

[6/3/2017]

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 13.05.2016

क्रमांक एफ. 2–3/2010/सात/शा.6– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित की गई समस्त ग्राम पंचायतों को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिताओं के भीतर,–

(1) नामांतरण के अविवादित मामलों के निराकरण के संबंध में, उक्त संहिता की धारा 110 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां इस निदेश के साथ प्रदान करती है कि ऐसे मामलों का निराकरण तीस दिन के भीतर किया जाए तथा इस समयावधि के पश्चात् ऐसे मामलों का निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाएगा; और

(2) खातों के बंटवारे के अविवादित मामलों के संबंध में, उक्त संहिता की धारा 178 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां इस निदेश के साथ प्रदान करती है कि ऐसे मामलों का निराकरण नब्बे दिन के भीतर किया जाए तथा इस समयावधि के पश्चात् ऐसे मामलों का निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

13/5/16

(सुरेश कुमार रजक)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

भोपाल दिनांक 13.05.2016

पृ0क्रमांक एफ. 2–3/2010/सात/शा.6– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2–3/2010/सात/शा.6 दिनांक 13.05.2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

13/5/16

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

NOTIFICATION.doc